न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्याः–142/2019 (GCMS No. 2019/000147) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. कालीचरन } पुत्र चन्द्रभान जाति लोधा निवासी उन्डोली तहसील व जिला धौलपुर।
2. रामकिशन }
3. कुषुमा पुत्री चन्द्रभान पत्नी पप्पू जाति लोधा निवासी भैसाख तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलान्टान

बनाम

1. सतीशचंद
2. गिरीशचंद
3. अनिल कुमार

} पुत्रगण नत्थीलाल जाति जैन निवासी मौहल्ला तलोया धौलपुर।

.....असल रेस्पोडेन्टान

4. ग्राम पंचायत विरोदा जरिये सरपंच।

..... तरतीवी रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 12.12.2014 उपखण्ड अधिकारी धौलपुर अपील संख्या 02/12 उनवानी सतीशचन्द्र बनाम कालीचरन बावत् नामान्तकरण संख्या 2589 दिनांक 05.12.11 ग्राम पंचायत विरोदा।

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से श्रीमती शशिबंसल, श्री राजेश सोगरवाल वकील
2. रेस्पोडेन्टस की ओर से श्री दिनेश शर्मा, वकील

नि र्ण य

दिनांक : 13.06.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के आदेश दिनांक 12.12.2014 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि नामांतरकरण संख्या 2589 ग्राम पंचायत विरोंधा द्वारा मृतक चन्द्रभान की विरासत का नामांतरकरण स्वीकृत किया है। मृतक चन्द्रभान के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

वारिसान अपीलांटस व उसकी पुत्रियॉ गुडडी व राजकुमारी हैं। इनके अतिरिक्त और कोई वारिसान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दाखिल खारिज संख्या 2589 को निरस्त करते हुये मृतक चन्द्रभान का नाम पुनः राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है जो गलत है। मृतक व्यक्ति का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं किया जा सकता है। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री दिनेश शर्मा वकील उपस्थित। रेस्पो. संख्या 4 बावजूद सूचना/तामील अनुपस्थित।
3. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्धान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आलोच्य आदेश मुख्य विवाद के विपरीत पारित किया है। दाखिल खारिज संख्या 2589 ग्राम पंचायत विरौंधा द्वारा चन्द्रभान की विरासत का दाखिल खारिज स्वीकार किया है। यह तथ्य निर्विवाद है कि मृतक चन्द्रभान के वरिसान अपीलान्टान व उसकी अन्य पुत्रियॉ गुडडी व राजकुमारी है। इन वारिसान के अतिरिक्त मृतक चन्द्रभान का कोई अन्य वारिस नहीं है। असल रेस्पो. संख्या 1 लगायत 3 चन्द्रभान के विधिक वारिस नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटान व रेस्पोडेन्ट तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर किये गये विभिन्न दावों का हवाला देते हुये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो मुख्य विवाद से हटकर पारित किया गया है। असल रेस्पोडेन्ट मृतक चन्द्रभान के विधिक वारिस नहीं है औ न ही ये खण्डाधीन दाखिल खारिज की कार्यवाही में पक्षकार थे, तो रेस्पो. उक्त नामांतरकरण संख्या 2589 के खिलाफ अपील पेश करने के अधिकारी नहीं है और न ही प्रथम अपीलीय न्यायालय से अपील पेश करने की कोई इजाजत ली गई और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. द्वारा पेश की गई अपील की अनुमति दी गई। इस प्रकार बिना अनुमति लिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि अपील पेश करने की अनुमति ली जानी आवश्यक थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत अपील का विधि विरूद्व अंतिम निस्तारण कर दिया। रेस्पो. जब वारिस ही नहीं है तो इनका हित किस प्रकार प्रभावित हो सकता है। रेस्पो. का मुख्य आधार यह है कि विवादित आराजी को मृतक चन्द्रभान से खरीद कर लिया था इसलिए विवादित आराजी के वे काश्तकार खातेदार है। अतः विवादित नामांतरकरण संख्या 2589 खारिज किया जावे। विरासतन दाखिल खारिज की कार्यवाही से हस्तान्तरण की वैधता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है और न ही हस्तान्तरण विरासत की तारीफ में आता है। ऐसी सूरत में विरासत के मामले में किसी हस्तान्तरण की कोई

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

रेलेवैन्सी नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से नामांतरकरण संख्या 2589 को निरस्त कर पुनः मृतक चन्द्रभान के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्व है। क्योंकि मृतक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं किया जा सकता है। नामांतरकरण से पूर्व की प्रविष्टियों को स्थापित करने से असल रेस्पो. का नाम दर्ज नहीं किया जा सकता है तो पूर्व इन्द्राजात को वदस्तूर किये जाने का आदेश बिल्कुल औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2014 निरस्त फरमाया जावे तथा नामांतरकरण संख्या 2589 ग्राम पंचायत विरोंधा यथावत रखा जावे।

5. दौराने बहस विद्धान वकील रेस्पोडेन्टस द्वारा कथन किया कि चन्द्रभान ने रेस्पोडन्ट संख्या 1 लगा. 3 को विधिवत जरिये रजिस्टर्ड बयनामा आराजी खसरा नम्बर 219 रकवा 1.13 बीघा व 220 रकवा 1.16 बीघा में से अपने 1/2 हिस्से का बेचान किया गया परन्तु उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ। चन्द्रभान की मृत्यु हो गई है। बयनामा के आधार पर रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 का कब्जा काश्त है। रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर हम खातेदार काश्तकार थे इसलिए धारा 96 के प्रार्थना पत्र द्वारा अपील पेश करने की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रय को सही माना है। दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हुआ है। राजस्व वाद लम्बित हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे। अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2016 आरबीजे पेज 547 (डी.बी), 2014 आरबीजे पेज 630 (आर.एस.सी), 1995 आरआरडी पेज 120 (ए) एवं 2009 आरबीजे पेज 428 उद्धृत किये।

6. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि चन्द्रभान आराजी खसरा नम्बर 219 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा तथा ख.नं. 220 रकवा 1 बीघा 16 विस्वा के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार था। चन्द्रभान ने अपने हिस्से की आराजी का 1/2 भाग का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 को कर दिया गया। नामांतरकरण की कार्यवाही नहीं हुई है। चन्द्रभान की मृत्यु हो चुकी है। अपीलांट व रेस्पो. के बीच राजीनामा 18.04.2007 को हो गया। जिसमें विक्रय पत्र को सही माना है। राजीनामा के आधार पर प्रकरण संख्या 19/07 लोक अदालत धौलपुर द्वारा दिनांक 18.04.2007 को निर्णित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी क्रमांक 2605/2010 कालीचरन

संभागीय आयुक्त
भरतपुर

बनाम सतीश चन्द्र तथा उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के वाद की प्रति भी पेश की है। जिनसे स्पष्ट है कि विवादित आराजी के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन है। नामांतरकरण संख्या 2589 के आधार पर चन्द्रभान की विरासत का खोला गया है। तथा जमाबंदी सम्वत् 2066–69 ग्राम विरौंधा में चन्द्रभान हिस्सा 1/2 पर कालीचरन, रामकिशन पिसरान चन्द्रभान हिस्सा 5/12 तथा कुशुमा पुत्री चन्द्रभान हिस्सा 1/12 का इन्द्राज हो रहा है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि चन्द्रभान द्वारा अपने हिस्से की आराजी का 1/2 भाग विक्रय किया गया है, जिसको अपीलांट द्वारा सही माना है। विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण पर भी पहले निर्णय होना आवश्यक है। ऐसा नहीं होने से अनावश्यक वाद बढेगा। चन्द्रभान को अपने हिस्से की आराजी के विक्रय का अधिकार है। यह स्वीकृत तथ्य है कि अधिकारों के विनिश्चिय से संबंधित नियमित वाद लम्बित हो तो नामांतरकरण की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होती। अधिकारों के विनिश्चय के साथ निर्णय की पालना में स्वतः ही नामांतरकरण की कार्यवाही हो जावेगी। विभिन्न न्यायालयों में भी वाद लम्बित होना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से साबित होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्रश्नगत नामांतरकरण से संबंधित आराजी को नियमित वादों के लम्बित रहते नामांतरकरण की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं माना है। रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा होती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटस की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

7. फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर का निर्णय दिनांक 12.12.2014 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/6/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर